

2020/00180

उपखण्ड अधिकारी एवं उपजिला मजिस्ट्रेट, छबड़ा जिला-बारां (राज.)

आदेश पत्र सं.	धारा अंतर्गत	ग्राम	तहसील
50/20	188 RTA	चा-चौडा	खंडा
वादी	वाद शीर्षक	प्रतिवादी	
परमानंद	बनाम	सी ताराम	

वकील :-

आदेश पत्रक

वकील :-

दिनांक	कार्यवाही एवं आदेश	विविध संदर्भ
26 ⁸ / ₂₀	<p>अभिभाषक प्रार्थी द्वारा वाद पत्र अंतर्गत धारा 188 RTA विरुद्ध अप्रार्थीगण के इस आपीलक में पेश किया गया। रिपोर्ट सरिश्ता का अवलोकन किया गया। प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाने तथा अप्रार्थीगण को जरिये सम्बन्धित तलक भर पत्रावली दिनांक 22/9/20 को पेश हो।</p> <p>कोरोना संक्रमण न्यायालय न्यायालय के अन्य कार्य में व्यस्त होने के कारण पत्रावली पूर्ववत् स्थिति में दिनांक 22/9/20 को पेश हो।</p> <p>रीडर न्यायालय उपखण्ड अधिकारी छबड़ा (बारां)</p>	
22 ⁹ / ₂₀	<p>कोरोना संक्रमण न्यायालय न्यायालय के अन्य कार्य में व्यस्त होने के कारण पत्रावली पूर्ववत् स्थिति में दिनांक 18/10/20 को पेश हो।</p> <p>रीडर न्यायालय उपखण्ड अधिकारी छबड़ा (बारां)</p>	
14 ¹⁰ / ₂₀	<p>कोरोना संक्रमण न्यायालय न्यायालय के अन्य कार्य में व्यस्त होने के कारण पत्रावली पूर्ववत् स्थिति में दिनांक 09/11/20 को पेश हो।</p> <p>रीडर न्यायालय उपखण्ड अधिकारी छबड़ा (बारां)</p>	



दिनांक

कार्यवाही एवं आदेश

55

22.4.24

नियतसीन अधिकारी के अन्य कार्य में व्यस्त होने के कारण पत्रावली पूर्ववत स्थिति में दिनांक 3.6.24 को पेश हो।



न्यायालय उपखण्ड अधिकारी
छवड़ा (बारा)

3.6.24

नियतसीन अधिकारी के अन्य कार्य में व्यस्त होने के कारण पत्रावली पूर्ववत स्थिति में दिनांक 29.7.24 को पेश हो।



न्यायालय उपखण्ड अधिकारी
छवड़ा (बारा)

29.7.24

पत्रावली पेश हुई। वकील वादी एवं स्वयं वादी उपस्थित नहीं हैं। न्यायालय के कक्ष-कक्ष पर तीन बार आवाज पुकारवायी गई। न्यायालय विस्तारित होने तक इंतजार किया गया। वकील वादी एवं स्वयं वादी कोई उपर नहीं हुए। प्रकरण अदालत हाजरी एवं अफ पुरवी के खारिज किया जाया है। पत्रावली प्रश्नल सुधार होकर बाद तामील नकली के राखिल स्वर हो।

